



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274933
CG-DL-E-29072026-274933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3985]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3985]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4155(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के पूर्णियां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31(खगड़िया- पूर्णिया सेक्शन)के कि.मी. 390.500 से कि.मी.413.530 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के पूर्णियां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के कि.मी. 390.500 से कि.मी.413.530(खगड़िया- पूर्णिया सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: पूर्णियां		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पूर्णियां पूर्व					
गांव का नाम: डगरुआ					
1	1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1108 (हेक्टेयर)	0.1108
2	10	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.1074 (हेक्टेयर)	0.1074
3	13	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0352 (हेक्टेयर)	0.0352
4	14	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.4865 (हेक्टेयर)	0.4865
5	15	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0626 (हेक्टेयर)	0.0626
6	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.4008 (हेक्टेयर)	0.4008
7	17	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.2118 (हेक्टेयर)	0.2118
8	22	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0987 (हेक्टेयर)	0.0987
9	3	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.1484 (हेक्टेयर)	0.1484
10	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.2441 (हेक्टेयर)	0.2441
11	5	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.1087 (हेक्टेयर)	0.1087
12	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
13	7	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.6917 (हेक्टेयर)	0.6917
14	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1086 (हेक्टेयर)	0.1086
15	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
Total					2.8702

[फा. सं. NHA/12010/09/BGS/2010/Tech/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4155(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways-31 in the stretch of land from Km. 390.500 to Km. 413.530 (Khagaria- Purnea Section) in the district of Purnea in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Purnea in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 390.500 to Km. 413.530 (Khagaria- Purnea Section) of National Highway No. 31, in the district of Purnea in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: Purnea		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Purnea East					
Village: Dagarua					
1	1	Private	Agriculture	0.1108 (Hectare)	0.1108
2	10	Private	Agriculture	0.1074 (Hectare)	0.1074
3	13	Private	Agriculture ()	0.0352 (Hectare)	0.0352
4	14	Private	Agriculture ()	0.4865 (Hectare)	0.4865
5	15	Private	Agriculture ()	0.0626 (Hectare)	0.0626
6	16	Private	Agriculture	0.4008 (Hectare)	0.4008
7	17	Private	Agriculture ()	0.2118 (Hectare)	0.2118
8	22	Private	Agriculture ()	0.0987 (Hectare)	0.0987
9	3	Private	Agriculture ()	0.1484 (Hectare)	0.1484
10	4	Private	Agriculture	0.2441 (Hectare)	0.2441
11	5	Private	Agriculture ()	0.1087 (Hectare)	0.1087

12	6	Private	Agriculture	0.045 (Hectare)	0.045
13	7	Private	Agriculture ()	0.6917 (Hectare)	0.6917
14	8	Private	Agriculture	0.1086 (Hectare)	0.1086
15	9	Private	Agriculture	0.0099 (Hectare)	0.0099
Total					2.8702

[F. No. NHAI/12010/09/BGS/2010/Tech/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director